आर.ई.ओ.-96

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

जोधपुर-342 003 फोन नं. 0291 2651224 (का) फेक्स नं० 2651227

क्रमांकः- मु.अ. / जोविविनिलि / अनु-पीपीएम / पत्रा०आर.ई.ओ. / प्रे०सं०17 जोधपुर दिनांक 4/6/05

आदेश

विषयः-कृषि कनेक्शन के भार को विभाजित करने के सम्बन्ध में ।

....

कृषि कनेक्शन नीति (संशोधित 18.09.2004) के बिन्दु सख्या 23(iv) के अनुसार पूर्व में स्थापित कुऐ की मोटर एच.पी. को विभाजित नही किया जा सकता हैं । इससे उपभोक्ताओं को कठिनाई महसूस हो रही थी अतः जन प्रतिनिधियों व उपभोक्ताओं की मॉग को ध्यान में रखते हुये अब यह निर्णय लिया गया हैं कि स्थापित कुऐ की मोटर एच.पी. को दो भागों मे उपभोक्ता की आवश्यकतानुसार उसी खेत परिसर /खसरा/मुरब्बा में स्थापित दूसरे कुऐ में स्थानान्तरित किया जा सकता हैं जिसके लिये उपभोक्ता से कृषि कनेक्शन नीति (संशोधित 18.09.2004) के बिन्दु सख्या 10(1) के अनुसार राशि ली जायेगी ।

उदाहरणार्थ स्थापित कुऐ (अ) की मोटर 40 एच.पी.की हैं । उपभोक्ता इसमें से 20 एच.पी. (कम या अधिक अनुपात में भी) का भार दूसरे कुऐ (ब) में स्थानान्तरित करना चाहता हैं तो कुऐ (ब) पर स्थानान्तरित करने के लिये उपभोक्ता से कृषि कनेक्शन नीति (संशोधित 18.09.2004) के बिन्दु सख्या 10(1) के अनुसार राशि ली जावेगी तथा कुऐ (अ) के शेष रहे भार 20 एच.पी. का सहायक अभियन्ता द्वारा अनुमोदन कर दिया जावेगा । यह स्पष्ट किया जाता हैं कि विभाजित दूसरा कनेक्शन भी उसी 11 के.वी. फीडर से जारी किया जावेगा जिससे कि विधमान कनेक्शन चालू हैं ।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे ।

(एच.एस.देवडा)
मुख्य अभियन्ता (सीपीएम)
जो.वि.वि.नि.लि.जोधपुर